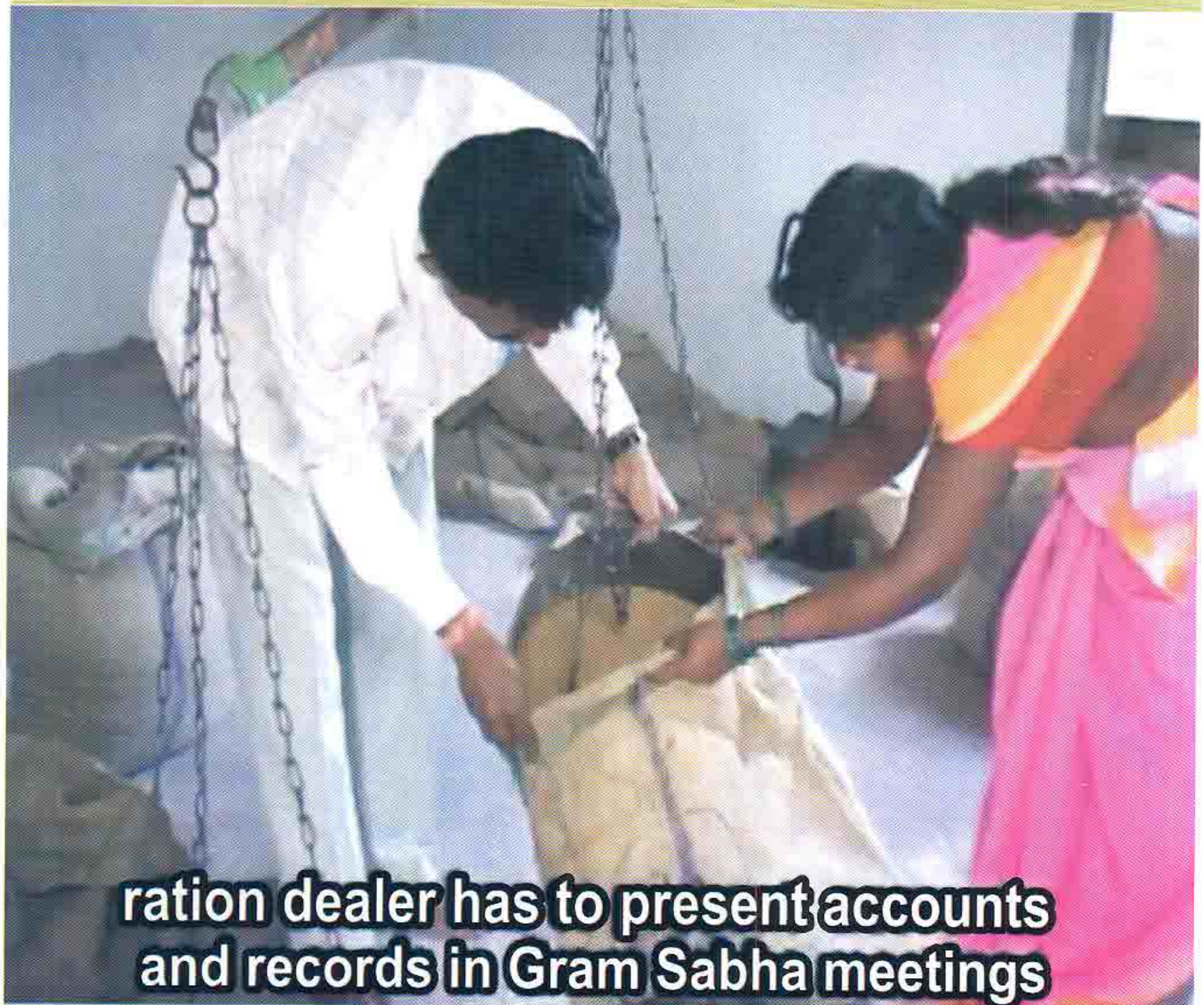
ration dealer has to present accounts
and records in Gram Sabha meetings

जन वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चार आवश्यक वस्तुएँ यथा गेहूँ, चावल, चीनी तथा किरासन तेल राशन कार्डधारियों के बीच वितरित किया जाता है।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना जून, 1997 से राज्य में प्रारंभ की गयी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मुख्यतः दो श्रेणियों क्रमशः गरीबी रेखा से उपर (ए०पी०एल०) एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) में रखा गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों में से अति गरीब परिवारों को अत्यधिक अनुदानित दर पर अन्त्योदय अन्न योजना में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः तीन योजनाएँ क्रमशः ए०पी०एल०, बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय अन्न योजना संचालित की जाती है।

अन्नपूर्णा योजना

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का 20 प्रतिशत वैसे अनाश्रय वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, को इस योजना का लाभ दिलाना है।

कार्य विवरण

- इस योजना के अंतर्गत अनाश्रय वृद्ध को प्रति माह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

अन्त्योदय अन्न योजना

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य बी०पी०एल० परिवारों में अति गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

कार्य विवरण

- इस योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 2रू० प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूँ एवं 3रू० प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न) उपलब्ध कराया जाता है।

बी०पी०एल०

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

कार्य विवरण

- राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षित कुल बी०पी०एल० परिवारों में से अत्यंत गरीब अन्त्योदय परिवारों को छोड़कर शेष बी०पी०एल० परिवारों को 5.22 रू० प्रति किलो की दर से 10 किलो गेहूँ एवं 6.78 रू० प्रति किलो की दर से 15 किलो चावल (कुल 25 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह) उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार राशन कूपन योजना

उद्देश्य

- जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सही मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न आपूर्ति करने के उद्देश्य से राज्य में बिहार राशन कूपन योजना लागू की गई है।

कार्य विवरण

- इस योजना के तहत बी०पी०एल० योजना अन्तर्गत आच्छादित परिवारों को लाल रंग का राशन कूपन (गेहूँ एवं चावल के लिए अलग–अलग) एवं अन्त्योदय परिवारों को पीले रंग का राशन कूपन (गेहूँ एवं चावल के लिए अलग–अलग) एक मुश्त एक वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार किरासन तेल कूपन योजना

उद्देश्य

- राज्य में किरासन तेल की कालाबाजारी एवं लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित परिवारों को अनुमान्य मात्रा की आपूर्ति, निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने हेतु यह योजना लागू की गई है।

कार्य विवरण

- किरासन तेल कूपन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रति माह 2.75 लीटर एवं शहरी क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को 2.25 लीटर की आपूर्ति निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक वर्ष के लिए 12 नीले रंग का कूपन निर्गत किया जाता है।
- कूपन दुकानदार को देने पर निर्धारित दर एवं मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।

लक्षित जनवितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी निकाय/कर्मियों की भूमिका/अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पुनरीक्षित सर्वेक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग द्वारा निर्वाचित पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं राज्य कर्मियों के सहयोग से कराया जाता है।

- जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण की निगरानी हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।
- पंचायत स्तरीय निगरानी समिति में पंचायत के मुखिया संयोजक हैं तथा इस समिति में पंचायत के सरपंच, निकटतम मतों से पराजित मुखिया एवं सरपंच के उम्मीदवार, संबंधित जन वितरण प्रणाली दूकान के आच्छादन क्षेत्र के वार्ड सदस्य तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि सदस्य हैं।
- इसी प्रकार शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय निगरानी समिति में वार्ड सदस्य– संयोजक, संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, अच्छादन क्षेत्र के वार्ड सदस्य तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि सदस्य हैं।
- अनुमण्डल स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण को अधिक कारगर एवं पारदर्शी बनाने हेतु अनुमण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन किया गया है।
- इस अनुश्रवण समिति में अनुमण्डल पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पदेन सचिव हैं तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि, जिला परिषद् के सदस्य, नगर निकाय के अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद के एक–एक प्रतिनिधि, अनुमण्डल अन्तर्गत पंचायत समितियों के सभी प्रमुख, तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10 सामाजिक कार्यकत्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उठाव की गयी सामग्रियों की सूचना समय पर निगरानी समिति के सदस्यों एव अन्य उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाने के कारण पंचायत/ वार्ड स्तर पर कार्यरत निगरानी समिति द्वारा उठाव की गई सामग्रियों के वितरण पर कारगर ढंग से निगरानी नहीं रखे जाने की शिकायतों के मद्देनजर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निगम के गोदाम से खाद्यान्न/ चीनी के उठाव एवं थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार से किरासन तेल के उठाव की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से संबंधित पंचायत वार्ड के निगरानी समिति के सदस्यों तथा गांव के कुछ कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने का आदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही इसका अनुश्रवण नियमित रूप से करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी निदेशित किया गया है।

पेंशन सुरक्षा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी बी०पी०एल० परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध पुरूष/महिला को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह 200/– रूपये पेंशन की राशि दी जाती है।
- पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष हो जाने पर 80 वर्ष और उससे से अधिक आयु के वृद्ध को अप्रैल, 2011 से 500/– रूपये मासिक पेंशन देय है।

कार्य विवरण

- आवेदक अपने उम्र (60 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए), निवास, बी०पी०एल० संख्या एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।
- राज्य के बी०पी०एल० परिवार की 40–59 वर्ष की विधवा को इन्दिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह 200/– रूपये पेंशन की राशि दी जाती है।

कार्य विवरण

- आवेदक अपने उम्र, निवास, बी०पी०एल० संख्या एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।
- राज्य के बी०पी०एल० परिवार के 18–59 वर्ष के विकलांग व्यक्ति, जिनकी विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह 200/– रूपये पेंशन की राशि दी जाती है।

कार्य विवरण

- आवेदक अपने उम्र, निवास, बी०पी०एल० संख्या एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

बिहार नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना वर्ष 2007 से समाज कल्याण विभाग से संचालित है।
- सभी आयु एवं आय वर्गों के ऐसे विकलांग जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अन्यून हो, को पेंशन के रूप में प्रतिमाह रूपये 200/– पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुँचायी जाती है।

कार्य विवरण

- आवेदक अपने उम्र, निवास प्रमाण–पत्र, विकलांगता प्रमाण–पत्र एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रतिमाह रूपये 200/– पेंशन दी जाती है।

कार्य विवरण

- गरीब परिवार में जीवन बसर करनेवाले वैसे सभी नि:सहाय विधवाओं पर लागू होगी जिनकी आयु 18 से अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो।
- वैसी विधवाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो किन्तु बी०पी०एल० में चिन्हित न हो किन्तु वार्षिक आय 60,000/– से अधिक न हो।
- वैसी विधवा परिवार जिनके परिवार का नाम बी०पी०एल० सूची में अंकित हो, अथवा जिनकी वार्षिक आय रू० 60,000/– से अधिक न हो, इस योजना के अधीन योग्य मानी जायेगी।
- वैसे नि: सहाय विधवाएं जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम–से–कम 10 वर्ष पूर्व से बिहार में रह रही हो।
- आवेदक अपने उम्र, निवास, बी०पी०एल० संख्या एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।

- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

उद्देश्य

- यह योजना वर्ष 2007 से समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।
- राज्य के 60–64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे वृद्ध जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपये 5500/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 5000/– से अधिक न हो को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह रूपये 200/– पेंशन की राशि से राहत पहुँचायी जाती है।
- पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है।

अन्य सुरक्षा एवं मदद

आपदा प्रबन्धन एवं संकट समाधन

पंचायत की भूमिका

विगत कुछ दशको में ऐसा देखा गया है कि बिहार राज्य आवर्ती प्रकृति की कतिपय आपदाओं से ग्रसित रहा है। इन आपदाओं से निजी एवं सरकारी जानमाल की क्षति होती है, अर्थ व्यवस्था क्षत–विक्षत होती है तथा प्रभावित आबादी को भीषण दुःख एवं कठिनाई से सामना होता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि इनमें से कई आपदाएं परिहार्य हैं और ऐसी है, जिनका निवारण एवं न्यूनीकरण किया जा सकता है। समय आ गया है कि राज्य के विभिन्न हिस्से में नियमित रूप से और अक्सर आनेवाली इन प्राकृतिक आपदाओं पर दृष्टिपात करते हुए इनके प्रभावों को घटाने एवं प्रभावित आबादी को सहायता मुहैया करने हेतु एक रणनीति का निर्धारण किया जाय। ससमय एवं दक्षतापूर्ण तैयार की गई कार्ययोजना से अचानक आनेवाली किसी आपदा के समय भी अनेक जिंदगियाँ और विशाल संपत्ति को बचाया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र एवं समुदाय को कुशलतापूर्वक विनिर्धारित एक कार्य योजना के कार्यान्वियन में लगाया जा सकता है।

आपदाएं अनेक प्रकृति की होती है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमिटी ने 31 प्रकार की आपदाओं को चिन्हित किया है, जिन्हें पांच श्रेणियों में रखा गया है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य में बहुधा आनेवाली आपदाएं निम्नांकित है–

1. सूखा 2. बाढ़ 3. भूकम्प 4. अग्निकांड 5. औद्योगिक एवं रसायनिक आपदाएं 6. दुर्घटनाएं 7. महामारियां

हर एक आपदा की पृथक प्रकृति होती है। फलतः इसके निरोध और न्यूनीकरण के लिए अलग प्रकार की कार्ययोजना की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रबंधन योजना के लिए भी तैयारी, अनुक्रिया और प्रतिलाभ के लिए विशिष्ट योजना की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनमें कुछ साम्य हो सकता है।

आपदाओं के न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की पहल करने की जरूरत होती है। इस हेतु संस्थानों, संगठनों एवं केन्द्र और राज्य स्तरीय सरकारी एजेंसियों की पहचान करनी होगी तथा आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने में उन्हें सम्मिलित करना होगा।

आपदा अचानक घटने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। अचानक लोगों के जान–माल को इतना भारी नुकसान हो जाता है कि जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिये विशेष सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था और सघन प्रयास की आवश्यकता होती है।

आपदा दो प्रकार की हो सकती है–

1. प्राकृतिक आपदा एवं

2. मानव जनित आपदा।

प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, आंधी–तूफान, चक्रवात, प्रति चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि शामिल है। मानवजनित आपदा में आगजनी, बम विस्फोट, यातायात संबंधी बड़ी दुर्घटना, आतंकी हमला, असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया नरसंहार या अत्याचार आदि घटनाएं आती है।

पहले ऐसे किसी संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार राहत या बचाव कार्य करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लेती थी। परंतु अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में जब हमें कई तरह की आपदाओं की पूर्व सूचना मिल जाती है तो आसन्न आपदा से संभावित जान–माल की क्षति से हम बच सकते हैं। इसमें पंचायतों की अहम भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि शासन और प्रशासन के तंत्र को आपदा स्थल पर सहायता पहुंचानी होगी, परंतु पंचायत तो वहीं मौजूद होती है। अतः उपलब्धता तथा पहुंच की दृष्टि से आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

आपदा प्रबंधन के तीन भाग है – पूर्व तैयारी, आपदा घटित होने के दौरान कार्यवाही तथा आपदा घटित होने के बाद की तैयारी और कार्यवाही। तीनो स्थितियों में आपदा प्रबंधन का मूल आधार होता है– सहयोग, सहभागिता एवं संपर्क। इसमें एक भी तत्व की कमी से आपदा प्रबंधन अधूरा एवं असपफल रहता है। आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी के समय जन सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आपदा घटित होने पर जन सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है तथा आपदा घटित होने के बाद जन संपर्क की जरूरत पड़ती है। इन तीनों हीं स्थितियों से नीचे लिखी दस बातों पर ध्यान देना जरूरी है –

1. आपस में चर्चा
2. जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
3. रोशनी / बिजली की व्यवस्था
4. यातायात की व्यवस्था
5. भोजन
6. सूचना
7. राहत पहुंचाने से संबंधित कार्य
8. पीने का पानी
9. ठहरने की जगह
10. बाहर की दुनिया से संपर्क साधने के उपाय

परंतु आपदा प्रबंधन की रीढ़ पूर्व तैयारी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

1. आपदा आने के स्रोत का चित्रण अर्थात अगर बाढ़ आने की आशंका है, तो पानी का बहाव किस तरफ से आकर किधर जायेगा। फिर उसी को ध्यान में रखकर आवश्यक प्रबंधन करना होगा।
2. आपदा आने पर कौन–कौन से काम करने होंगे और किस पर किस काम की जिम्मेदारी होगी।
3. समय–समय पर प्रशिक्षण एवं अभ्यास।
4. भोजन, जीवनरक्षक दवाईयां तथा अन्य जरूरी चीजें उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त मात्रा में रखने की व्यवस्था।
5. राहत सामग्री को लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था।
6. आपस में तालमेल और संवाद।
7. औरतों एवं बच्चों के रहने की व्यवस्था।
8. मवेशियों / पालतू पशुओं को रखने का इन्तजाम।
9. शौच, सुरक्षा आदि की व्यवस्था।
10. शुद्ध पीने लायक पानी का प्रबंध।

पहले भी गांवो में हम सामाजिक सहयोग से इस तरह की व्यवस्था करते थे। बरसात के समय सूखी लकड़ी आदि की व्यवस्था, अचार, तैयार नाश्ते का सामान, बेसन, हल्की भोजन सामग्री, दियासलाई, बड़ी, पापड़ आदि की व्यवस्था पहले से हीं करके रखते थे जिससे कि बरसात या बाढ़ आने पर कोई परेशानी न हों। यहां तक कि उंची जगहों पर बने मकान में रहने वाले लोग अपने दालान आदि में नीची जगहों पर रहने वाले लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करते थे और स्वविवेक का परिचय देते थे। ठीक उसी तरह, आपदा प्रबंधन में समाज और इस प्रकार समुदाय के लिये बड़े

पैमाने पर यथा शीघ्र सारी व्यवस्था करना पंचायत की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।

हमारे बिहार का पूरी उत्तरी क्षेत्र –गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक तथा गंगा के दक्षिणी भूभाग में बक्सर से लेकर बांका तक का क्षेत्र किसी–न–किसी आपदा की संभावना से ग्रसित है। बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगजनी, आतंकवाद आदि दुर्घटनाओं से यहां के लोगों को दो–चार होना पड़ता है। नेपाल से सटे बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र को भूकम्प प्रभावित क्षेत्र माना गया है। करीब–करीब पूरा बिहार प्रदेश ही देश के आपदा की गहन संभावना वाले क्षेत्रों में से एक है। अतः हमारे लिये स्थानीय विकास के साथ–साथ आपदा प्रबंधन की भी सोच विकसित कर इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायतों के लिए आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यूं तो राहत, बचाव, सहायता आदि की ही चर्चा है परंतु क्रियान्वयन की दृष्टि से स्थिति इस प्रकार है :–

(1) ग्राम सभा स्तर पर

धारा 10 (d) के अनुसार 'ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं स्कीमों और अन्य कार्यकलापों, जो उस ग्राम से संबंधित हो, को पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या एक से अधिक निगरानी समितियों को गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो।'

(2) ग्राम पंचायत स्तर पर

ग्राम पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी।

सामान्य कार्य

1. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिये वार्षिक योजनाओं को तैयार करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करने की शक्ति।
4. लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना।
5. स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना।
6. गांवो के अनिवार्य सांख्यिकी आंकड़ों का संधारण।

इन सामान्य कार्यो में तीन कार्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन पर काम कर सकती है। पहला, सामान्य कार्य संख्या (6) के अंतर्गत अपने क्षेत्र में पूर्व में आई आपदाओं एवं उनसे हुये क्षति के विषय में आंकड़े एकत्र करके एक नक्शा बनवा सकती है। दूसरा, सामान्य कार्य (5) के अंतर्गत स्वैच्छिक श्रमिको को संगठित कर उन्हें आपदा के संदर्भ में प्रशिक्षित कर सकती है तथा तीसरा, सामान्य कार्य (3) के अंतर्गत वह सहायता कार्य की योजना निर्माण कर सकती है।

इसके अतिरिक्त अध्याय–3, धारा 33 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के संदर्भ में ग्राम पंचायत के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं।

धारा 33 'ग्राम रक्षा दल का गठन

सामान्य पहरा तथा निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं यथा आगलगी, बाढ़, बांध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने, सरकार द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्यों को संपादित करने तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए विहित रीति से नियुक्त एक दलपति के अधीन

प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे। ग्राम रक्षा दल के गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिये सरकार नियम बनायेंगी।"

इस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन एवं संकट समाधान के क्षेत्र में नियोजित ढंग से सबकुछ कर सकता है। इसके लिए इसे एक प्रशिक्षित दल भी उपलब्ध है। इस दल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवा देने मात्र से ही बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

(3) पंचायत समिति स्तर पर

- प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व
- पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनजीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ इसे (प्रमुख) को एक वर्ष में कुल पच्चीस हजार रूपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी।
- पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियां
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को राहत देना।
- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में दिये इन प्रावधानों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पंचायत समिति अपनी विशेष बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करके जिला परिषद से समाधान के लिए अनुरोध कर सकती है।

(4) जिला परिषद स्तर पर

- जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिये उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रूपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी।
- परंतु जिला परिषद की अगली बैठक में अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति का ब्योरा जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी स्वीकृति लेगा।

इसके अलावा, धारा 73 के अंतर्गत जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियों में यह भी प्रावधान किया गया है कि –

- धारा 73, 21 (घ) संकटग्रस्तों को राहत देने हेतु उपाय करेगी।

इस प्रावधान में दिये उपाय के तहत आपदा प्रबंधन के कुछ आयामों पर जिला परिषद पहल कर सकती है। जैसे, सरकार उसके विभागों एवं अन्य स्रोतों से संपर्क करना तथा सहायता प्रस्ताव बनाकर उन्हें प्रस्तुत करना तथा मंजूर कराना आदि।

त्रिस्तरीय पंचायत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्राम पंचायत की सबसे अहम भूमिका है। इसके लिये उसके पास ग्राम रक्षा दल के रूप में एक विशेष माध्यम भी है। चूंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवो में रहती है और इसके व्यवस्थापन की जिम्मेदारी पंचायतों के हाथ में सौंप दी गयी है। अतः इनके प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमतावर्द्धन अति आवश्यक हो जाता है। साथ हीं, यदि ग्राम रक्षा दल को उस क्षेत्र में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाये तो आपदा प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत हद तक आसान हो जायेगा। उदाहरण के लिये, बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल को डूबते हुये को बचाने, प्राथमिक उपचार, पानी साफ करने की विधि, ओ.आर.एस., ब्लीचिंग पाउडर, डी.डी.टी. आदि के समुचित उपयोग की जानकारी देकर जनजीवन में होनेवाली तबाही को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन के आयाम

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख रूप से छह कार्य करने होते हैं, वे हैं –

- एहतियात
- रोकथाम के उपाय
- पूर्व तैयारी
- राहत
- बचाव एवं
- पुनर्वास

इन सभी कार्यो की प्रकृति आपदा विशेष के स्वरूप के अनुरूप होती है। इसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। इन छह कार्यों में पहले तीन तो ग्राम पंचायत को अपने–अपने स्तर पर अवश्य करना चाहिये। बाकी तीन के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद के योगदान अथवा सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

परंतु आपदा प्रबंधन के इन सारे कार्यों में पंचायतों के सहयोग के अलावा जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

हर स्तर पर आपदा प्रबंधन की सफलता सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि जनसहभागिता किस तरह की और किस हद तक प्राप्त हो सकी है और इस संदर्भ में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सहयोग स्व से शुरू होकर जब अन्य तक पहुंचता है तभी साकार होता है। अतः सहायता का क्रम कुछ इस प्रकार का होना चाहिये –

स्वयं सहायता

यह बात सर्वविदित है कि जब तक स्वयं प्रयास न किया जाये तबतक बाहरी सहायता अधिक फलित नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि इसे प्राप्त करने के लिये किसी को कहीं जाना नही पड़ता। यह हर समय, हर जगह हम अपने साथ रखते हैं।

स्थानीय सहायता

आपदा की स्थिति में बाहरी मुद्दों में स्थानीय सहायता ही सबसे पहले काम आती है। इसलिये स्थानीय व्यवस्था का होना परम आवश्यक है और उसे सुनिश्चित करना आपदा प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है।

प्रशासनिक सहायता

सहायता के इस स्रोत तक खबर पहुंचने से लेकर मदद पहुंचने तक काफी समय लग जाता है। क्योंकि इनके काम करने का अपना तरीका होता है जिससे हटकर सामान्यतया यहां कोई कुछ नहीं करना चाहता। इसी कारण अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी प्रशासनिक मदद पहुंचने में लगभग 72 घंटों का समय लग जाता है। इसके अलावा, प्रशासन के सहायता पहुंचाने के अपने मापदंड है। उसे इन्हें हीं पूरा करने की चिंता होती है। उससे आगे किस स्तर से कौन आदेश दे रहा है इस पर विचार करना होगा।

सरकारी सहायता

यह सबसे बाद में मिलने वाली सहायता है। यह पुनर्वास की स्थिति से ज्यादा जुड़ी है। यह सरकार से सरकार के बीच की बात है। इसका आधार आपदा नहीं आपदा के आकलन रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकृत किया जाता है, उसपर निर्भर करता है। आपदा प्रबंधन एवं संकट समाधान के लिए पंचायतों को विशेषकर ग्राम पंचायत को अपनी योजना बनाकर स्वयं सहायता एवं स्थानीय सहायता तथा ग्राम रक्षा दल के आधार पर जरूरी कदम उठाने चाहिये। क्योकि आपदा के समय जन अपेक्षाओं का सामना सबसे पहले पंचायतों, विशेषकर ग्राम पंचायत को ही करना होता है। उन्हें संकट से जुझती जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बी०पी०एल० परिवार के कमाऊ सदस्य के मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को लाभ दिलाना है।
- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।

कार्य विवरण

- सभी बी०पी०एल० परिवार के 18–64 आयु के कमाऊ सदस्य (Bread earner) की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत एकमुश्त 10 हजार रूपये की राशि दी जाती है।
- आवेदक अपने उम्र, निवास, बी०पी०एल० संख्या एवं दो फोटो के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरान्त पेंशन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

इस योजना की विस्तृत जानकारी हेतु राज्य स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

उद्देश्य

- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूर या उसके परिवार (अधिकतम पाँच सदस्य) का रु० 30,000/– का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है जिसकी प्रीमियम राशि 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करती है।
- यह योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 2008–09 में सर्वप्रथम आठ जिलों में लागू किया था।
- वर्ष 2009–10 से इसे बिहार के सभी जिलों में लागू कर दिया गया ।

कार्य विवरण

- बीमित परिवार को मात्र 30 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में देना होता है।
- नामांकन के लिए वैसे बी०पी०एल परिवार के सदस्यों को पूर्व निर्धारित नामांकन शिविर तक आ कर फोटो खिंचवाना होता है एवं अपने अंगूठे का निशान देना होता है।
- नामांकन के तुरंत बाद उसी स्थल पर उसे एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसे वह सुरक्षित अपने पास रखते हैं।

मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य विकलांगजन को टिकाऊ, सुविकसित एवं मानकीकृत कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्राप्त कराना है।

पात्रता

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से संबंधित विकलांगता प्रमाण–पत्र (जो राज्य सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है) एवं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रू० से कम हो उन्हें इस योजना के तहत तिपहिया साईकिल व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वैशाखी, कैलीपर आदि उपकरण तथा कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है।

योजना का लाभ लेने हेतु संपर्क स्थल

- इस योजना के लाभ लेने हेतु संबंधित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य

- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना ।
- कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना ।
- लिंग अनुपात में वृद्धि लाना ।
- जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना ।

लक्ष्य समूह

- कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लाभार्थी को देय है ।
- इस योजना का लाभ 21.11. 2007 के पश्चात जन्म लेने वाली बच्चियों को देय है ।
- इस योजना का लाभ देय तिथि के पश्चात जन्मी एक परिवार की मात्र दो कन्या संतानों तक ही देय है ।

अनुदान का स्वरूप

- इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय रू. 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू०टी०आई० म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

- स्मार्ट कार्ड के ऊपर परिवार के मुखिया का नाम, उसकी आयु, उसका लिंग एवं उसका फोटो अंकित रहता है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट कार्ड में पीले रंग का एक बायोमेट्रिक चीप लगा होता है जिसमें परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारियाँ, उनके अंगूठे का निशान और उनका फोटो तथा बीमा राशि का अवशेष राशि अंकित रहता है, जिसे कम्प्यूटर पर ही पढ़ा जा सकता है।

योजना का लाभ

स्मार्ट कार्डधारी बी०पी०एल० परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार होकर रा०स्वा० बी० योजना अन्तर्गत किसी सूचीबद्ध अस्पताल में पहुँचता है तो योजना अन्तर्गत ईलाज में वह निम्नांकित सुविधा पाने का हकदार होता हैः–

- परिवार के पाँच सदस्य का ईलाज जिसमें नवजात शिशु भी शामिल है।
- अस्पतालीकरण की दशा में रू० 30,000 (तीस हजार रूपए) तक का वार्षिक निःशुल्क ईलाज।
- भर्त्ती के दौरान सभी दवाएं निःशुल्क।
- भर्त्ती के दौरान मरीज को निःशुल्क भोजन।
- खून की जाँच, एक्सरे, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउण्ड इत्यादि जाँचों की निःशुल्क सुविधा।
- डिस्चार्ज के समय 5 दिन की दवा निःशुल्क।
- रू० 100.00 (एक सौ रूपये) डिस्चार्ज के समय आने–जानें का किराया (अधिकतम 1,000 रूपये वार्षिक)।
- भर्ती न होने की दशा में चिकित्सा परामर्श मुफ्त एवं रियायती दर पर दवा तथा जाँच की सुविधा।

नोट : **किसी भी स्थिति में स्मार्ट कार्ड अस्पताल या अन्य किसी के पास न छोड़े। दलालों से बचें। अन्य किसी भी जानकारी हेतु हेल्प लाईन नं०- 18003456108 पर सम्पर्क किया जा सकता है।**

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त विशेष कार्य पदाधिकारी– 9334825136, उप श्रमायुक्त–सह–संयोजक– 9470832533, नोडल पदाधिकारी– 9430605733, मेडिकल एडभाईजर– 9334319770, कार्यकारी निदेशक– 9471828971, प्रधान सचिव कोषांग, श्रम संसाधन विभाग– 0612–2213855 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

उद्देश्य

- बिहार के सभी बी०पी०एल० परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य जिनकी मृत्यु स्वाभाविक या आकस्मिक रूप से हुई हो, की अन्त्येष्टि क्रिया हेतु 1500 /– रूपये की अनुदान राशि मृतक के निकटतम आश्रित को उपलब्ध करायी जाती है।
- यह योजना राज्य में वर्ष 2007 से समाज कल्याण विभाग से संचालित है।

पंचायती राज संस्थाओं / शहरी निकाय की भूमिका

- 5 अनुदान मामलों के लिए राशि पंचायत में मुखिया के पास एवं नगर निकाय में वार्ड कमिश्नर के पास हमेशा उपलब्ध रहती है ताकि मृतक को आश्रित का तत्काल राशि मुहैया करायी जा सके।

पात्रता

- इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को देय है ।
- जन्म का विधिवत निबंधन जन्म के 01 वर्ष के अन्दर कराया जाना आवश्यक है ।
- इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए । (अर्थात् लाभार्थी के जन्म से लेकन तीन वर्ष की आयु प्राप्त होने तक आवेदन कर सकेंगे) ।

आवेदन की प्रकिया

- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन – पत्र बाल विकास परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा ।
- आँगनबाड़ी सेविका लाभुकों को निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगी ।
- इस योजना का लाभ हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भर कर क्षेत्रीय आंगनबाड़ी सेविका को देना होगा ।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे ।
- स्वीकृति पदाधिकारी क्रमवार आवेदन पत्र को पंजीकृत करेंगे ।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात

- जन्म निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
- इस आशय की घोषणा (विहित आवेदन प्रपत्र में ही अंकित) की सूचना गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी ।

योजना की राशि का प्रबंधन

- राज्य सरकार महिला विकास निगम को निधि उपलब्ध करायेगी । इस राशि का प्रबंधन यू०टी०आई० एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि० के सहयोग से किया जायेगा । समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर यू०टी०आई० म्यूचुअल फंड द्वारा संबंधित कन्या के नाम से रूपये 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) का एक यू०टी०आई० चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्सड प्लान का प्रमाण–पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

भुगतान की प्रक्रिया

- 18 वर्ष पूरा होने के पश्चात् लाभार्थी द्वारा परिपक्वता राशि आहरण पत्र (Redemption request) उनके बैंक खाता संख्या सहित य०ूटी०आइ०ं म्यूचुअल फंड को समर्पित किया जायेगा । तत्पश्चात् उस प्रमाण– पत्र की परिपक्वता राशि यू०टी०आई० म्यूचुअल फंड द्वारा कन्या को उपलब्ध कराई जायेगी ।
- यदि लड़की का किसी कारणवश देहान्त हो जाता है तो यह राशि महिला विकास निगम की निधि हो जायेगी तथा लड़की के परिजनों का उस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

उद्देश्य

- यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है।
- गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह का निबंधन एवं कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, अनैतिक पणन तथा बाल विवाह को रोकना इसका उद्देश्य है।

पात्रता

- कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हों,
- विवाह के समय वधू की उम्र कम–से–कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो,
- पुनर्विवाह का मामला न हो, परन्तु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा।
- विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो,
- दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।

कार्य विवरण

- योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के वैसे परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 60,000/– (साठ हजार रूपये) से कम हो। इस योजना का लाभ 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात् सम्पन्न विवाह के लिये देय होगा।
- इस योजना के तहत कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/–रूपये (पाँच हजार रूपये) का भुगतान कन्या के नाम चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दिया जायेगा।

विकलांगों के लिए यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग सहायता योजना

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद विकलांगों को टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, स्तरीय यंत्रों व उपकरणों को प्राप्त करने में सहायता करना है जो उनकी विकलांगता के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहन दे सकें।
- उनकी विकलांगता उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों को बाधित करती है।
- अतः उन्हें खुद की देखभाल और स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने के लिए कुछ सहायक उपकरणों की जरूरत होती है।
- योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले ये यंत्र और उपकरण जहां तक संभव हो बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित विशेष विनिदेशों के अनुसार होंगे।

लाभार्थियों की पात्रता

- कोई भी विकलांग व्यक्ति जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो एडिप के अंतर्गत आधिकारिक एजेंसियों के जरिए, लाभ पाने का पात्र होगाः–
- उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो।
- एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह विकलांग है और बताए गए यंत्र या उपकरण का उपयोग करने के लायक है।
- ऐसा व्यक्ति जो नियोजित/स्वनियोजित हो या पेंशन ले रहा हो और जिसकी मासिक आय सभी तरह के जरियों से 10,000.00 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है।
- आश्रित होने की स्थिति में माता–पिता/अभिभावकों की आय 10,000.00 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार, स्थानीय निकायों और गैर–सरकारी संगठनों से पिछले 3 सालों के दौरान इस संबंध में किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह समय सीमा 1 वर्ष होगी।

विकलांग के लिए सहायता की राशि

- केवल वे ही यंत्र और उपकरण इस योजना के अंतर्गत आएंगे जिनकी कीमत 50 रूपये से कम और 6,000 रूपये से अधिक नहीं है।
- दृष्टि, मानसिक, वाक् और श्रवण या अनेक प्रकार से विकलांगों के लिए यह सीमा उनके अध्ययन काल के दौरान 9वीं कक्षा तक 8,000 रूपये होगी।
- यह सीमा केवल सहायता के व्यक्तिगत उपकरण पर लागू होगी और जहाँ पर एक से अधिक उपकरण की जरूरत होगी यहां यह सीमा अलग से लागू होगी।
- विकलांग के लिए सहायता की धनराशि योजना लागू करने वाले एजेंसी के जरिए प्राप्त की जाएगी।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

उद्देश्य

- यह योजना श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना है।
- बिहार राज्य के ऐसे प्रवासी मजदूर एवं उनके आश्रित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना" 01 अप्रैल, 2008 से पूरे राज्य में लागू है। इस योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, उनके काम करने के दौरान, काम करने आने–जाने के क्रम में हुई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को 1,00,000.00 रूपये (एक लाख रुपये) की राशि अनुदान के रूप में देय है।

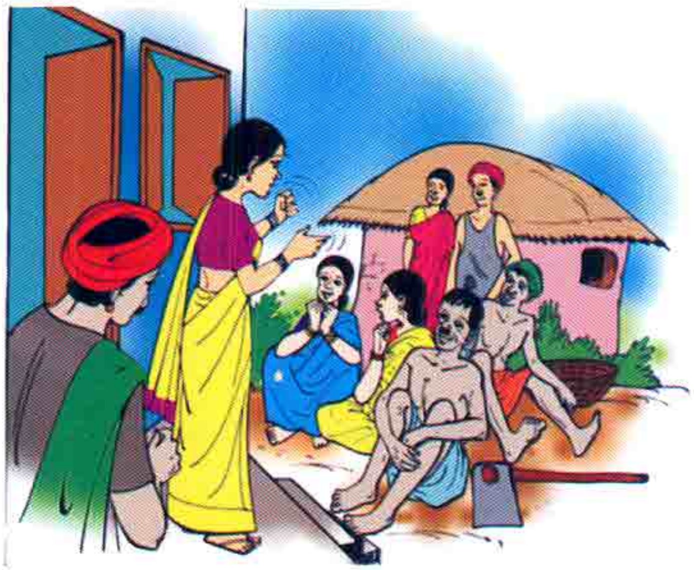

- प्रवासी मजदूर से तात्पर्य ऐसे मजदूरों से है जो किसी ठिकेदार द्वारा अथवा स्वयं की इच्छा से एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी संविदा एवं अन्य व्यवस्था के तहत नियोजन के लिए ले जाए जाते हैं, भले ही उसकी जानकारी नियोजक को हो या न हो।
- बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से मजदूर राज्य से बाहर कार्य करने जाते है जिसका मुख्य कारण गरीबी एवं रोजगार का अभाव है। बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो जाते हैं, परन्तु बिहार राज्य के बाहर कार्यरत प्रवासी मजदूर किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित रह जाते हैं।

कार्य विवरण

- यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से लागू है।

पात्रता

- राज्य के बाहर काम करने वाले असंगठित मजदूर जो बिहार राज्य के अधिवासी हैं।
- प्रवासी मजदूर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।

दुर्घटना मृत्यु

- ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा अपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना मृत्यु योजना में सम्मिलित है।
- स्वेच्छा से लगाई गई चोट/आत्महत्या/मादक द्रव्यों/पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु सम्मिलित नहीं है।

प्रवासी मजदूर के मृत्यु के फलस्वरूप अनुदान

- दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु० 1,00,000/– (एक लाख रु०) मात्र का अनुदान भुगतेय होगा।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधित) नियमावली, 2011 के अनुसार दुर्घटना के बाद 180 दिनों के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी उसे 1,00,000 (एक लाख रु०) अनुदान देय होगा। दुर्घटना के बाद 180 दिनों के अंतर्गत यदि वे पूर्ण स्थायी अपंग हो जाते हैं तो उस स्थिति में 75,000 (पचहत्तर हजार रूपये) एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) उसे रेखांकित चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा।

मृत्यु के फलस्वरूप दावा-पत्र

- अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा–पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।
- इस योजना का शत–प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के अन्तर्गत अन्य लाभ

- यदि अन्य राज्यों में कार्यरत बिहारी प्रवासी मजदूर के किसी भी विषम परिस्थिति/कठिनाई/बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराने आदि की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपने खर्च पर मुक्त कराकर घर तक वापस पहुँचाने की व्यवस्था है।
- विमुक्ति के पश्चात् एक माह के राशन हेतु रु० 1500.00 (एक हजार पाँच सौ रूपये), मार्ग व्यय हेतु 500.00 (पाँच सौ रूपये) एवं भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि मद में 500 रूपये व्यय करने का प्रावधान है।

पंचायतों की भूमिका

- पंचायतों का दायित्व है कि इस योजना की जानकारी पंचायत के सभी प्रवासी मजदूरों के परिवारजनों को दें।
- इस योजना के कार्यान्वयन में पंचायत की अहम भूमिका है।
- इस योजना का प्रचार–प्रसार कर मृतक परिवार के वैध आश्रितों को योजना का लाभ पहुँचाया जा सकता है।